—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांकः 11.11.2021

युवती को बरगला कर अपने साथ ले जाकर , नशीले पदार्थ का सेवन कराकर , दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना युवती को बरगला कर अपने साथ ले जाकर , नशीले पदार्थ का सेवन कराकर , दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता को थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिनांक 04.08.2021 को थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी एक युवती द्वारा नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता के विरूद्ध स्वयं(वादिनी) को बरगला कर अपने साथ ले जाकर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने , दुष्कर्म करने, गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मड़िहान पर पंजीकृत उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.11.2021 को प्र0नि0थाना मडिहान विजय प्रताप सिंह मय हमराह का0 संतोष यादव, का0 मोहित यादव, का0 जयराम राय व म0का0 खुशबू यादव द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्ता रूकमणी पत्नी पप्पू भारती निवासी भवानीपुर थाना मड़िहान मीरजापुर को उसके घर से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।